सत्र समीक्षा

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का
नवम् सत्र

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के नवम् सत्र का सोमवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् ....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा गुरुवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2017 को राष्ट्र गान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगन हुआ। इसका सत्रावसान दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
नवम् सत्र	4	अक्टूबर माह – 23, 24, 25 व 26

भारत के राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति को बधाई

सत्र के दौरान दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को श्री रामनाथ कोविन्द के भारत के राष्ट्रपति तथा श्री वेंकैया नायडु के उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने पर सदन द्वारा बधाई दी गयी।

सदन में अव्यवस्था और बैठक का स्थगन

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को किसानों का कर्ज माफ करने के सम्बन्ध में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर लगातार शोर–शराबा एवं नारेबाजी किये जाने से सदन में अव्यवस्था एवं व्यवधान व्याप्त हो गया। इस पर सदन की बैठक 11.36 बजे से मध्याह्न पश्चात् 1.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी। पुन: समवेत् होने पर भी सदन में व्यवधान जारी रहा।
2. दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 को किसानों की कर्ज–माफी की मांग को लेकर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार धरना और नारेबाजी करने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न हो गया जिसके फलस्वरूप सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी गयी। बैठक के पुनः समवेत् होने पर भी अव्यवस्था एवं व्यवधान जारी रहा।
3. दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को भी किसानों की कर्ज–माफी की मांग को लेकर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार धरना और नारेबाजी करने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न हुआ।

बहिर्गमन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को श्री घनश्याम तिवाड़ी ने दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 86 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 1526 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रश्नों में से 76 माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 627 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 76 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। 44 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 10–10 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 6 सदस्यों ने 9–9, 3 सदस्यों ने 8–8 तथा शेष 23 सदस्यों ने 7–7 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती सोना देवी, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं श्रीमती द्रोपती ने सर्वाधिक 10–10 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 3–3 प्रश्न सर्वश्री मानसिंह किनसरिया, रमेश, रामहेत सिंह यादव, जगदीश नारायण, श्रीराम भींचर, ज्ञानचंद पारख एवं धीरज गुर्जर के थे। महिला सदस्यों में श्रीमती शकुन्तला रावत के 2 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 82 माननीय सदस्यों द्वारा 899 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 82 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। 19 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 20–20 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 3 सदस्यों ने 19–19, 2 सदस्यों ने 18–18 तथा शेष 58 सदस्यों ने 17 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती द्रोपती एवं श्रीमती सोना देवी ने सर्वाधिक 20–20 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में 10 सदस्यों के सर्वाधिक 3–3 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। महिला सदस्यों में श्रीमती द्रोपती एवं श्रीमती गीता वर्मा के सर्वाधिक 3–3 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार प्राप्त तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 57 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 54 प्रश्न शिक्षा विभाग, 53 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 48 प्रश्न ऊर्जा विभाग तथा 44 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 7–7 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग एवं खान विभाग, 6 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 5 प्रश्न महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 70 प्रश्न शिक्षा विभाग, 69 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 51 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 49 प्रश्न पंचायतीराज विभाग तथा 48 प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 9 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 5–5 प्रश्न जल संसाधन विभाग, खान विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाए तो नवम् सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 457 तारांकित प्रश्नों में से 54 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 99 में से 14, निर्दलीय सदस्यों के 48 में से 6, नेशनल पीपुल्स पार्टी के 13 में से 1 तथा एनयूजेडपी के 10 में से 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 623 प्रश्नों में से 59 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के 150 में से 14, निर्दलीय सदस्यों के 78 में से 3, बहुजन समाज पार्टी

के 1 में से 1, एनयूजेडपी के 20 में से 2 तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के सदस्यों के 27 में से 3 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाए तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 78 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 112 अतारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 459 तारांकित प्रश्नों में से 71 तथा 787 अतारांकित प्रश्नों में से 70 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 46 तारांकित प्रश्नों में से 2 तथा 69 अतारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 तारांकित प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ हालांकि 12 में से 3 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसके अतिरिक्त एनयूजेडपी के 10 में से 1 तारांकित तथा 20 में से 2 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। निर्दलीय महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 8 तारांकित एवं 6 अतारांकित में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ। इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत द्वारा प्रस्तुत 10 तारांकित में से 2 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा प्रस्तुत 5 अतारांकित प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ।

समीक्ष्य सत्र में सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। सर्वाधिक 5 प्रश्नों पर 25 अक्टूबर, 2017 को सदन में चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त 26 अक्टूबर, 2017 को 4 प्रश्नों एवं 24 अक्टूबर, 2017 को एक प्रश्न पर सदन में चर्चा हुई।

स्थगन प्रस्ताव

नवम् सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा नियम 50 के अन्तर्गत 5 माननीय सदस्यों के 6 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गयी। 3 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभ्युक्ति दी गयी। निर्दलीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल ने 2 प्रस्ताव, बहुजन समाज पार्टी के श्री मनोज कुमार, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के श्री धीरज गुर्जर एवं श्री हीरालाल दरांगी तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के डॉ. किरोड़ी लाल ने एक–एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये। किसी भी महिला सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

विशेष उल्लेख की सूचनाएं

समीक्ष्य सत्र में 14 माननीय सदस्यों की ओर से नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 2 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा शेष 12 सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 10 सदस्यों सहित इण्डियन नेशनल कांग्रेस के श्री भंवर सिंह, नेशनल पीपुल्स पार्टी की श्रीमती गोलमा, एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी तथा निर्दलीय श्री मानिक चन्द सुराणा द्वारा एक–एक सूचना प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत सूचनाओं में से 5 महिला सदस्यों द्वारा एक–एक सूचना प्रस्तुत की गयी। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 3, एनयूजेडपी एवं नेशनल पीपुल्स पार्टी की एक–एक सदस्य सम्मिलित थीं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 8 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 8 मुद्दे सदन में उठाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। सभी विषयों पर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा अभ्युक्तियां दी गयीं। विषय उठाने वाले सभी 8 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे। किसी भी महिला सदस्य द्वारा पर्ची के माध्यम से कोई भी विषय सदन में नहीं उठाया गया।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

नवम् सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 44, राजकीय उपक्रम समिति के 12, कार्य सलाहकार समिति के 2, याचिका समिति तथा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति एवं प्राक्कलन समिति 'ख' का एक–एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

सदस्यों का निलम्बन समाप्त

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को श्री पूरणमल सैनी, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदन द्वारा श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री मनोज कुमार का सदन की सदस्यता से निलम्बन समाप्त किया गया।

वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

नवम् सत्र में दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री ने वर्ष 2017–18 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) का उपस्थापन किया जिसे दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को आसन द्वारा मुख बंद का प्रयोग कर पारित किया गया।

विधायी कार्य

(क) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये–

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (वर्ष 2017 का अध्यादेश सं. 2)
2. दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (वर्ष 2017 का अध्यादेश सं. 3)

(ख) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुरःस्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण अग्र प्रकार है –

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
35/2017	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017	23.10.2017	25.10.2017	25.10.2017
36/2017	राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2017	26.10.2017	26.10.2017	26.10.2017
37/2017	राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017	23.10.2017	24.10.2017	24.10.2017
38/2017	दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017	23.10.2017	प्रवर समिति को निर्दिष्ट	–
39/2017	दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017	23.10.2017	प्रवर समिति को निर्दिष्ट	07.03.2018
40/2017	राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता–निवारण) विधेयक, 2017	23.10.2017	25.10.2017	25.10.2017
41/2017	राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017	23.10.2017	24.10.2017	24.10.2017
42/2017	राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017	25.10.2017	26.10.2017	26.10.2017

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

समीक्ष्य नौवें सत्र में सदन में निम्नांकित व्यक्तियों के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी :–

23.10.2017

	नाम	पद	निधन की तिथि
1.	सुश्री कीर्ति कुमारी	सदस्य, 14वीं विधान सभा	28.08.2017
2.	मार्शल अर्जन सिंह	पूर्व उप राज्यपाल, दिल्ली	16.09.2017
3.	श्री एन. धरम सिंह	पूर्व मुख्य मंत्री, कर्नाटक	27.07.2017
4.	श्री सांवरलाल जाट	सांसद, 16वीं लोक सभा एवं पूर्व सदस्य, 9,10,11,12 व 14वीं वि.स.	09.08.2017

5.	श्री चांदनाथ	सांसद, 16वीं लोक सभा एवं पूर्व सदस्य, 12वीं विधान सभा	17.09.2017
6.	श्री घनश्याम जैन	पूर्व सदस्य, 7 व 11वीं विधान सभा	04.10.2017
7.	श्री जुगल काबरा	पूर्व सदस्य, 11वीं विधान सभा	10.05.2017
8.	श्री शम्भूदयाल बड़गुजर	पूर्व सदस्य, 9 व 10वीं विधान सभा	19.08.2017
9.	राव श्री कमलेन्द्र सिंह	पूर्व सदस्य, 6, 7, 9वीं विधान सभा	06.08.2017
10.	श्री मेघराज तावड़	पूर्व सदस्य, 7वीं विधान सभा	27.08.2017
11.	श्रीमती सूरज देवी	पूर्व सदस्य, 7वीं विधान सभा	25.03.2017
12.	श्री प्रभुलाल शर्मा	पूर्व सदस्य, 7वीं विधान सभा	16.05.2017
13.	श्री किशन सिंह भाटी	पूर्व सदस्य, 6ठी विधान सभा	14.08.2017
14.	मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) के खतौली में उत्कल एक्सप्रैस रेल दुर्घटना के मृतक		
	26.10.2017		
15.	श्री नानालाल बीरबाल	पूर्व सदस्य, 5 व 7वीं विधान सभा	10.09.2017
16.	श्री मूलचन्द सामरिया	पूर्व सदस्य, 5 व 6ठी विधान सभा	23.10.2017

✧✧✧

आय–व्ययक वर्ष 2018–19 को प्रस्तुत करते हुए
माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे (12.2.2018)